

# सार्वजनिक सूचना

निदेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हरियाणा, चंडीगढ़ ने ज्ञापन संख्या LC-3855-B/JE(SK)/2024/23798 दिनांक 29/07/2024 के माध्यम से सोहना गुरुग्राम के सेक्टर-36 स्थित गांव धुनेला की राजस्व संपदा में अफॉर्डबल प्लॉटेड कॉलोनी ( डीडीजेएवाई-2016) स्थापित करने के लिए दिए गए लाइसेंस संख्या 18 ऑफ 2021 दिनांक 16/04/2024 के अतिरिक्त 2.96875 एकड़ क्षेत्र में अफॉर्डबल प्लॉटेड कॉलोनी (डीडीजेएवाई-2016) स्थापित करने के लिए संशोधित लेआउट योजनाओं के अनुमोदन के लिए आशय पत्र (एलओआई) प्रदान किया है।

उक्त आशय पत्र (एलओआई) के अनुसार, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हरियाणा, चंडीगढ़ ने कंपनी को राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से लेआउट योजनाओं में उक्त संशोधन के बारे में मौजूदा आवंटियों को सूचित करने का निर्देश दिया है और तदनुसार उनकी जानकारी के लिए नोटिस जारी किया जाता है और यदि कोई आपत्ति है, तो उसे इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर वरिष्ठ नगर नियोजक, गुरुग्राम के कार्यालय को भेजा जा सकता है। पूर्व में स्वीकृत लेआउट और संशोधित लेआउट के साथ दी गई उक्त अनुमति को हमारी वेबसाइट [www.signatureglobal](http://www.signatureglobal) पद पर अपलोड/होस्ट किया जा रहा है।

एसडी-

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सिग्नेचरग्लोबल होम्स प्राइवेट लिमिटेड

सीआईएन: U70100DL2008PTC176641

पंजीकृत कार्यालय - 13वीं मंजिल, डॉ. गोपाल दास  
भवन, 28 बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110001

स्थान: गुरुग्राम

दिनांक: 31 जुलाई 2024